न्यूज़ टुडे

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने "राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC)- 2025" जारी किया

NIC सांख्यिकीय सर्वेक्षणों, जनगणनाओं, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण के लिए एक मौलिक उपकरण है।

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC)– 2025 के बारे में

- NIC-2025 ने पिछले NIC-2008 को अपडेट किया है। NIC को सबसे पहले 1962 में शुरू किया गया था।
- इसे MoSPI ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (UNSD) द्वारा विकसित सभी आर्थिक गतिविधियों के अंतर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण (ISIC) संशोधन 5 के अनुरूप तैयार किया है।

प्रमुख परिवर्तन

- **संरचनात्मक परिवर्तन:** NIC-2025, NIC-2008 की 5-अंकीय कोडिंग संरचना के स्थान पर एक नई 6-अंकीय कोडिंग संरचना प्रस्तुत करता है। यह अधिक व्यापकता और लचीलापन प्रदान करता है। इससे उभरती हुई गतिविधियों का बेहतर प्रतिनिधित्व सक्षम होगा।
- **देशज क्षेत्रकों को मान्यता:** इसमें आयुष-आधारित स्वास्थ्य सेवा और हथकरघा उद्योग जैसे देशज क्षेत्रकों को मान्यता दी गई है।
- इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक, ई-कॉमर्स और डिजिटल मध्यवर्ती जैसे क्षेत्रकों को भी शामिल किया गया है।

NIC-2025 की मुख्य विशेषताएं

- **मध्यवर्ती युक्त सेवाओं का उन्नत वर्गीकरण:** विद्युत, खुदरा, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जैसे क्षेत्रकों में मध्यवर्तियों की बढ़ती भूमिका को प्रतिबिंबित करने के लिए कई श्रेणियों में नए वर्ग बनाए गए हैं।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व:** क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लॉकचेन, प्लेटफॉर्म-आधारित सेवाएं और वेब सर्च पोर्टल को विशिष्ट रूप से वर्गीकृत किया गया है।
- **पर्यावरण और हरित अर्थव्यवस्था का एकीकरण:** विस्तारित कवरेज में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ बेहतर तालमेल बनाते हुए कार्बन कैप्चर, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण सुधार गतिविधियों को शामिल किया गया है।
- **वर्गीकरण में प्रौद्योगिकी आधारित विभेद नहीं:** इसका अर्थ है कि गतिविधियों के बीच अंतर इस आधार पर नहीं किया गया है कि कोई गतिविधि पारंपरिक या आधुनिक उत्पादन तकनीकों के माध्यम से की जाती है।

केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत नई रूपरेखा प्रस्तुत की है

PMFBY में नई रूपरेखा को प्रस्तुत करने का उद्देश्य किसानों के हितों की सुरक्षा को मजबूत करना है।

- PMFBY के लिए संशोधित रूपरेखा खरीफ मौसम 2026 से लागू की जाएगी।

PMFBY के तहत किए गए प्रमुख बदलाव

- **कवरेज का विस्तार किया गया:** जंगली जानवरों के हमलों से होने वाले फसल नुकसान को स्थानीय जोखिमों के तहत पांचवें 'ऐड-ऑन कवर' के रूप में शामिल किया गया है।
- **स्थानीयकृत आपदा श्रेणी में पुनः शामिल किया गया:** जलजमाव के कारण धान की फसलों के नुकसान को स्थानीयकृत आपदा श्रेणी में पुनः शामिल किया गया है। 2018 में इसे हटा दिया गया था।
- **राज्यों द्वारा अधिसूचित करने का अधिकार:** राज्य सरकारें जंगली जानवरों की सूची अधिसूचित करेंगी तथा ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर अत्यधिक प्रभावित जिलों/बीमा इकाइयों की पहचान करेंगी।
- **अनिवार्य रिपोर्टिंग:** किसानों को फसल क्षति की सूचना 72 घंटे के भीतर फसल बीमा ऐप के माध्यम से जियो-टैग्ड फोटो के साथ देनी होगी।

प्रधान-मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के बारे में

- **मंत्रालय:** केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2016 में शुरू किया गया।
- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- **योजना के लक्ष्य और उद्देश्य:**
  - फसल नुकसान/क्षति झेलने वाले किसानों को वित्तीय सहायता देना,
  - किसानों की आय के स्रोत को जारी रखना और कृषि क्षेत्रक के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना,
  - नवीन एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाना और फसल विविधीकरण यानी अलग-अलग फसलों की खेती को बढ़ावा देना।
- **पात्रता:** अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान, जिनमें बटाईदार और काश्तकार किसान भी शामिल हैं।
- **किसानों द्वारा देय प्रीमियम अनुपात:**
  - **खरीफ फसलों के लिए:** 2%
  - **रबी फसलों के लिए:** 1.5%
  - **वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए:** 5%
- **सरकार द्वारा प्रीमियम का भुगतान:** केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समान अनुपात (50:50) में साझा किया जाता है;
  - पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के मामले में यह अनुपात 90:10 है, अर्थात केंद्र सरकार 90% प्रीमियम का भुगतान करती है।

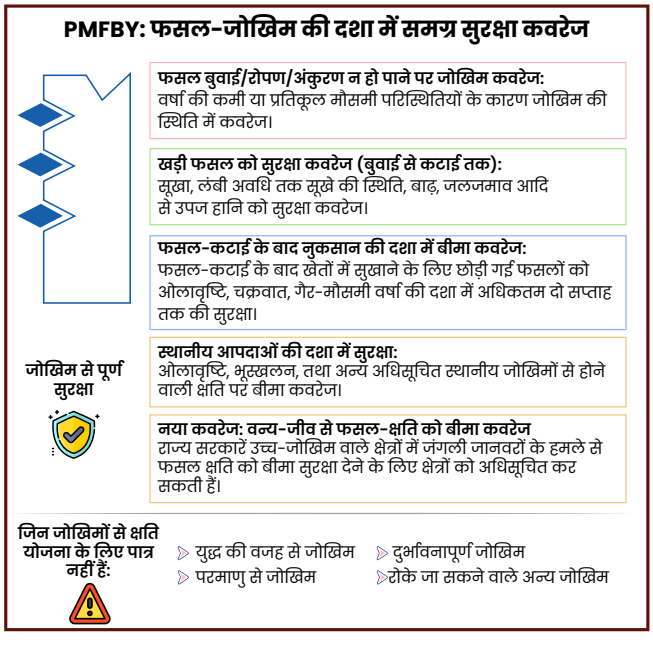

भंडारण व्यवस्था को आधुनिक बनाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विभिन्न डिजिटल पहलें शुरू की गई

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने **भंडारण संचालन को आधुनिक बनाने, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार लाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता बढ़ाने** के लिए प्रमुख डिजिटल पहलों की शुरुआत की।

पहलें	विवरण
भंडारण 360	▸ इसे **केंद्रीय भंडारण निगम (CWC)** ने प्रस्तुत किया है। यह एक **क्लाउड-आधारित ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) प्लेटफॉर्म** है। यह मानव संसाधन, वित्त, भंडारण प्रबंधन, अनुबंध निगरानी आदि को एकीकृत करता है। ▸ **लाभ:** भंडारण संचालन की वास्तविक समय निगरानी, सभी CWC गोदामों में मानकीकरण आदि।
स्मार्ट एक्जिम (EXIM) वेयरहाउस सिस्टम	▸ **CWC** ने कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (CFS/ ICD) और सामान्य गोदामों के लिए **स्मार्ट EXIM भंडारण प्रणाली** शुरू की है। ▸ यह प्रणाली प्रमुख प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए **AI, IoT, FASTag, OCR/ ANPR, और GNSS जैसी तकनीकों** का उपयोग करेगी। ▸ **लाभ:** गेट ऑटोमेशन सिस्टम और यार्ड प्रबंधन, कार्गो ट्रैकिंग, स्मार्ट इन्वेंट्री प्रबंधन आदि।
अन्न दर्पण	▸ **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** द्वारा प्रस्तुत, यह एक नया **सूक्ष्म सेवा आधारित (मोबाइल-फर्स्ट) प्लेटफॉर्म** है। यह मौजूदा **डिपो ऑनलाइन सिस्टम को प्रतिस्थापित** करेगा। ▸ यह प्लेटफॉर्म खरीद, भंडारण, आवागमन, बिक्री, श्रम और अनुबंध प्रबंधन को एकीकृत करेगा। इससे **खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में वास्तविक समय वाले डैशबोर्ड्स और तेजी से निर्णय लेना संभव** होगा।
आशा (ASHA) प्लेटफॉर्म	▸ **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 'आशा' (अन्न सहायता होलिस्टिक एआई सॉल्यूशन) प्लेटफॉर्म** लॉन्च किया है। ▸ यह एक AI-आधारित प्लेटफॉर्म है। यह **लाभार्थियों को उनकी पसंदीदा भाषा में AI-सक्षम कॉल के माध्यम से राशन वितरण पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करने** में सक्षम बनाएगा।

महत्त्व:

- इनसे **लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, टर्नअराउंड समय को न्यूनतम करने और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता को मजबूत करने के सरकारी मिशन** को समर्थन मिलेगा।
- इनसे **पीएम गति शक्ति** के तहत **एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम** को बढ़ावा मिलेगा।
- **सब्सिडी वाले खाद्यान्नों का सटीक, तेज और गरिमापूर्ण वितरण** सुनिश्चित होगा।

उच्चतम न्यायालय ने पूर्व-प्रभाव (ex post facto) से पर्यावरणीय मंज़ूरी को रद्द करने वाले अपने निर्णय को वापस लिया

उच्चतम न्यायालय ने कुछ माह पहले **वनशक्ति मामले** में अपने निर्णय में **पूर्व-प्रभाव (ex post facto) से पर्यावरणीय मंज़ूरी देने पर रोक लगा दी** थी।

- वनशक्ति मामले में शीर्ष न्यायालय ने केंद्र की **वर्ष 2017 की अधिसूचना** और 2021 के **कार्यालय ज्ञापन (OM)** को रद्द कर दिया था। इनमें कोई भी परियोजना शुरू होने के बाद उसे पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने वाले प्रावधान शामिल थे।

वनशक्ति मामले में दिए गए निर्णय को वापस लेने का कारण

- **कानूनी पूर्व-निर्णयों की उपेक्षा:** भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वनशक्ति मामले में निर्णय देते वक्त समान संख्या वाले न्यायाधीशों की अन्य पीठों के पिछले निर्णयों का ध्यान नहीं रखा गया। इस प्रकार वह **अनजाने में लिया गया त्रुटिपूर्ण निर्णय (per incuriam)** था।
  - **उदाहरण के लिए: डी. स्वामी बनाम कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (2021)** मामले में शीर्ष न्यायालय ने निर्णय दिया था कि असाधारण परिस्थितियों में **पूर्व-प्रभाव से पर्यावरणीय मंजूरी दी जा सकती है।**
- **एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (2020) मामले** में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व-प्रभाव से पर्यावरणीय मंजूरी को तो हतोत्साहित किया, लेकिन मौजूदा पूर्व-प्रभाव वाली पर्यावरणीय मंजूरियों को **मौद्रिक दंड देने के निर्देश के साथ नियमित कर दिया** था।
- **आर्थिक लागत:** वनशक्ति मामले में दिए गए निर्णय का अनुपालन करने से **पूरी हो चुकी सार्वजनिक परियोजनाओं की संरचनाओं को ध्वस्त करना पड़ेगा।**
  - इसके अलावा, बड़ी संरचनाओं को ध्वस्त करने से अधिक प्रदूषण फैल सकता है, जैसे कि **मलबा जमा होना, पुनर्निर्माण से उत्सर्जन** आदि।

पूर्व-प्रभाव से पर्यावरणीय मंजूरी के बारे में

- **पूर्व-प्रभाव से पर्यावरणीय मंजूरी** का अर्थ है कि कोई परियोजना **बिना पर्यावरणीय मंजूरी (EC) लिए शुरू** हो जाती है, और बाद में उसे मंजूरी दे दी जाती है ताकि वह अपना कार्य जारी रख सके।
- **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006** में स्पष्ट रूप से किसी परियोजना के शुरू होने से पहले **'पूर्व-पर्यावरणीय मंजूरी'** लेने का प्रावधान है।
- इससे पहले, **कॉमन कॉज बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले (2017)** में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि **पूर्व-प्रभाव या पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंज़ूरी की अवधारणा** पर्यावरणीय-न्याय संबंधी कानून में स्वीकार्य नहीं है।

भारत में पर्यावरणीय मंज़ूरी (EC)

- भारत में पर्यावरणीय मंजूरी उन परियोजनाओं के लिए आवश्यक है जो **पर्यावरण पर खतरनाक प्रभाव डाल सकती हैं।**
- **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006** में **39 से अधिक प्रकार की गतिविधियों को सूचीबद्ध** किया गया है जिनके लिए परियोजना शुरू करने से पहले **पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता** होती है। इनमें **खनन, अवसंरचना, बिजली संयंत्र, जैसी परियोजनाएं** शामिल हैं।
- **परियोजनाओं का वर्गीकरण:**
  - EIA अधिसूचना के तहत परियोजनाओं को **श्रेणी A और श्रेणी B में वर्गीकृत** किया गया है:
    - **श्रेणी A की परियोजनाएं:** इन पर **केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) में केंद्रीय स्तर पर** विचार किया जाता है।
    - **श्रेणी B की परियोजनाएं:** इन परियोजनाओं पर **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA)** विचार करता है।

"रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance: AMR) पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2.0" का शुभारंभ किया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने **रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP-AMR) के दूसरे संस्करण (2025-29)** का शुभारंभ किया।

NAP-AMR 2.0 के बारे में

- यह पहली **राष्ट्रीय कार्य योजना (2017-2021) में पहचानी गई कमियों** पर आधारित है। साथ ही, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निर्धारित 'AMR पर वैश्विक कार्य योजना'** के अनुरूप है।
- इसमें कार्यान्वयन की प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए **समय-सीमा और बजट के साथ प्रत्येक प्रमुख हितधारक मंत्रालय/ विभाग की विशिष्ट कार्य योजनाएं** शामिल हैं।
- **मुख्य रणनीतियां:**
  - **AMR-संबंधी प्रयासों के स्वामित्व में वृद्धि करना** और क्षेत्रकों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए सुपरिभाषित तंत्र स्थापित करना;
  - **प्रयोगशालाओं की क्षमता को बढ़ाना** और स्वास्थ्य सुविधाओं में संक्रमण को नियंत्रित करना;
  - **निजी क्षेत्रक के साथ मजबूत सहभागिता** सुनिश्चित करना।

AMR और AMR के प्रभाव के बारे में

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) तब होता है, जब सूक्ष्मजीव जैसे **जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी** उन दवाओं का प्रतिरोध करने के लिए तंत्र विकसित कर लेते हैं, जिन्हें उन्हें नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **AMR के प्रभाव:**
  - **वैश्विक स्वास्थ्य खतरा:** वैश्विक स्तर पर अप्रत्यक्ष रूप से AMR से **प्रतिवर्ष लगभग 4.95 मिलियन** मौतें होती हैं और **1.27 मिलियन** मौतें प्रत्यक्ष तौर पर इसी के कारण होती हैं।
  - **उच्च स्वास्थ्य देखभाल बोझ:** अप्रभावी उपचार के कारण परिवारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ जाती है।
  - **संवृद्धि और अर्थव्यवस्था:** AMR उत्पादकता को कमजोर करता है और वित्तीय नुकसान को बढ़ाता है। इससे राष्ट्रीय एवं वैश्विक आर्थिक संवृद्धि के समक्ष खतरा उत्पन्न होता है।
  - **उपचार में देरी:** एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोध के कारण प्रभावी उपचार में देरी होती है।
  - **अन्य:** खाद्य उत्पादन में कमी; चिकित्सा प्रक्रियाओं के समक्ष खतरा; चिकित्सा संबंधी प्रगति का बाधित होना आदि।

अन्य सुर्खियां

आधार प्रभाव

कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार, भारत में **मुद्रास्फीति दर अत्यधिक अनुकूल आधार प्रभाव सहित विभिन्न कारणों से कम** हुई है।

आधार प्रभाव (Base Effect) के बारे में

- **परिभाषा:** आधार प्रभाव, उस **संदर्भ बिंदु (आधार वर्ष/ माह/ डेटा बिंदु) के प्रभाव** को संदर्भित करता है, जिसका **अनुपात या प्रतिशत-आधारित संकेतकों के परिणामों पर तुलना के लिए उपयोग** किया जाता है।
- यदि **आधार अवधि** के मान असामान्य रूप से उच्च या निम्न हों, तो यह **रुझानों को विकृत** कर सकता है।
- **उपयोग:** मुद्रास्फीति के आंकड़ों (CPI/ WPI), सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर आदि की गणना के लिए।
  - **CPI:** उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।
  - **WPI:** थोक मूल्य सूचकांक।

व्यापार आसूचना और विश्लेषण पोर्टल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने व्यापार आसूचना और विश्लेषण पोर्टल का उद्घाटन किया।

व्यापार आसूचना और विश्लेषण पोर्टल के बारे में

- **उद्देश्य:** पारदर्शी व सुलभ व्यापार संबंधी खुफिया जानकारी प्रदान करना, जिससे व्यवसायों को समर्थन प्राप्त होगा और साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को मजबूत मिलेगी।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - **मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का उपयोग:** यह पोर्टल निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों का बेहतर उपयोग करने में मदद करेगा।
  - देश और वस्तु आसूचना उपकरण प्रत्येक बाजार के लिए प्रमुख उत्पादों की पहचान करने में मदद करते हैं।
  - **दक्षता:** अप्रचलित व अलग-अलग पोर्टल्स को एक एकीकृत एवं मापनीय प्रणाली से प्रतिस्थापित करेगा।
  - **सशक्तीकरण:** दूर-दराज के क्षेत्रों के लघु व्यवसायों को भी वह डेटा मिलेगा, जो अब तक केवल बड़े व्यवसायों के लिए ही सुलभ था।

बॉट-मिटिगेशन सिस्टम

हाल ही में, **क्लाउडफ्लेयर** में तकनीकी गड़बड़ी हुई है। यह गड़बड़ी उसके **बॉट-मिटिगेशन सिस्टम में एक गुप्त बग** के कारण हुई है। इसके कारण **वैश्विक स्तर पर सेवाओं में भारी व्यवधान** उत्पन्न हुआ है, जिससे X और ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म प्रभावित हुए हैं।

बॉट-मिटिगेशन सिस्टम के बारे में

- बॉट-मिटिगेशन, **खराब बॉट या बॉटनेट गतिविधि को वेबसाइट्स, सर्वरों या आईटी इकोसिस्टम तक पहुंचने से रोकने** का कार्य है।
  - बॉट **स्वचालित प्रोग्राम** होते हैं, कुछ **इंडेक्सिंग** जैसे कार्यों में सहायता करते हैं, जबकि अन्य **डेटा चुराते हैं, स्पैम फैलाते हैं**, या **डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (DDoS) हमलों** को सक्रिय करते हैं।
- **तकनीकें:** व्यवहार पैटर्न, IP जांच, CAPTCHA और ML टूल पर निर्भर करती हैं।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI)

हाल ही में, CCPI जारी किया गया है। यह **63 देशों और यूरोपीय संघ (EU) के जलवायु प्रदर्शन की तुलना** करता है। ये देश और EU सभी **वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 90% से अधिक** के लिए जिम्मेदार हैं।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) के बारे में

- **प्रकाशक:** जर्मनवॉच, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (CAN)।
- **रैंकिंग:**
  - कोई भी देश **शीर्ष 3 में नहीं** है।
  - **डेनमार्क** चौथे स्थान पर है। उसके बाद **यूनाइटेड किंगडम और मोरक्को** का स्थान है।
- यह निम्नलिखित **चार श्रेणियों** में जलवायु परिवर्तन शमन प्रदर्शन का मापन करता है- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति।**

भारत से संबंधित निष्कर्ष

- इस वर्ष के CCPI में भारत **23वें स्थान** पर है, जो **उच्च प्रदर्शन करने वाले देश से मध्यम प्रदर्शन करने वाले देश** की रैंक में आ गया है।
- **कोयले के उपयोग को समाप्त** करने की कोई **राष्ट्रीय समय-सीमा तय नहीं** की गई है। नए कोयला ब्लॉक्स की नीलामी जारी की गई है।
- **मुख्य मानदंड:** भारत को समय-सीमा के साथ व चरणबद्ध रीति से कोयले के उपयोग को कम और फिर पूर्णतया समाप्त करना होगा। साथ ही, अपनी जीवाश्म सब्सिडियों को विकेन्द्रीकृत व सामुदायिक स्वामित्वाधीन नवीकरणीय ऊर्जा की ओर निर्देशित करना होगा।

कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन

भारत को **कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन के 48वें सत्र (CAC48) में एशिया क्षेत्र हेतु कोडेक्स कार्यकारी समिति के लिए पुनः निर्वाचित** किया गया है।

कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग के बारे में

- **उत्पत्ति:** यह **1963 में खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और WHO** द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक **अंतर-सरकारी** निकाय है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा** करना और **खाद्य पदार्थों के व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित** करना है।
- **सदस्यता:** अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों में रुचि रखने वाले **FAO और WHO के सभी सदस्य देशों तथा संबद्ध (Associate) सदस्यों** के लिए खुली है।
  - **वर्तमान सदस्य: 189** सदस्य। **भारत सहित 188** सदस्य देश और **1** संगठन अर्थात **यूरोपीय संघ**।
- **बैठकें: प्रतिवर्ष** आयोजित होती हैं। **जिनेवा और रोम** में बारी-बारी से सत्र आयोजित होते हैं।

गाजा शांति योजना

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका समर्थित गाजा शांति योजना को मंजूरी प्रदान की।

गाजा शांति योजना के बारे में

- यह योजना **इजरायल-हमास संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक फ्रेमवर्क** प्रस्तुत करती है। यह संघर्ष **युद्धविराम, मानवीय राहत, शासन सुधार और पुनर्निर्माण** के माध्यम से समाप्त किया जाएगा।
- गाजा शांति योजना की मुख्य रूप से **संयुक्त राज्य अमेरिका** द्वारा मध्यस्थता की गई है। इसमें **कतर और मिस्र** का मध्यस्थता समर्थन भी प्राप्त है।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - **युद्धविराम तंत्र:** गाजा को स्थिर करने के लिए शत्रुता पर तत्काल व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी।
  - **बंधक-कैदी विनिमय:** बंधकों (हमास) और बंदियों (इजरायल) की पारस्परिक रिहाई।
  - **अन्य विशेषताएं:** फिलिस्तीन में शासन सुधार, एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती आदि।

राष्ट्रीय जल पुरस्कार

छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार (2024) के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में **महाराष्ट्र** को प्रथम स्थान मिला है। उसके बाद **गुजरात और हरियाणा** का स्थान है।

राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में

- **स्थापना:** जल शक्ति मंत्रालय के तहत **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग** द्वारा।
- **उद्देश्य:** लोगों के बीच जल के महत्त्व के बारे में जागरूकता फैलाना और उन्हें जल उपयोग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना।
- **10 श्रेणियों में प्रस्तुत:** सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्थान (स्कूल या कॉलेज के अलावा), सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

गुरु तेग बहादुर जी (1621-1675)

महाराष्ट्र का सिख समुदाय गुरु तेग बहादुर जी की **350वीं शहादत वर्षगांठ** को वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के साथ मनाएगा।

गुरु तेग बहादुर जी के बारे में

- उनका जन्म **अमृतसर (पंजाब)** में हुआ था।
- वे **गुरु हरगोबिंद जी (छठे सिख गुरु)** के सबसे छोटे पुत्र थे।
- वे **नौवें सिख गुरु** थे तथा एक महान योद्धा, आध्यात्मिक व्यक्तित्व और मातृभूमि प्रेमी थे।
- **प्रमुख योगदान:**
  - उन्होंने **पंजाब में चक नानकी शहर** की स्थापना की थी, जिसका बाद में **श्री आनंदपुर साहिब शहर** के रूप में विस्तार हुआ था।
  - उन्हें **'हिंद की चादर'** के दुर्लभ सम्मान से सम्मानित किया गया था।
  - उन्होंने **सार्वभौमिक भाईचारे और धार्मिक स्वतंत्रता** का संदेश दिया था।
  - उन्होंने **अंधविश्वास, जाति-आधारित भेदभाव और अस्पृश्यता का विरोध** किया था।
  - **गुरु ग्रंथ साहिब** में शामिल उनके भजन समानता, शांति और साहस पर ज़ोर देते हैं।
- **मूल्य:** वीरता, आध्यात्मिकता, नेतृत्व आदि।